# न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No.- 312/2026

Dandkhora P.S. Case No.- 144/2025

1. विद्यानन्द मंडल पिता खुबलाल मंडल, उ0त0 60 वर्ष,
2. रतन कुमार मंडल पिता विद्यानन्द मंडल, उ0त0 35 वर्ष,
3. रवि कुमार मंडल पिता विद्यानन्द मंडल, उ0त0 28 वर्ष,
4. मंजुला देवी पिता विद्यानन्द मंडल, उ0त0 55 वर्ष,
5. चांदनी देवी, पिता रतन कुमार मंडल, उ0त0 30 वर्ष,
6. हीरा लाल मंडल पिता स्व0 खूबलाल मंडल, उ0त0 55 वर्ष,
7. सरिता देवी पिता– हीरा लाल मंडल, उ0त0 50 वर्ष,
   नवासी ग्राम– तिलास, थाना– डंडखोरा,
8. रेशमा कुमारी पिता सतीश मंडल, उ0त0 22 वर्ष
   निवासी ग्राम– रघेली, थाना– डंडखोरा,
   जिला– कटिहार ..........................................................................................आवेदकगण।

बनाम

बिहार सरकार ..............................................................................................अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री .......सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ....................................संजय कुमार सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांकः11.03.2026

## आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 24.02.2026 को आवेदकगण की ओर से नवीन वकालतनामा के साथ विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह द्वारा दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचिका छाया कुमारी ने थानाध्यक्ष डंडखोरा को एक टंकित आवेदन देते हुए कथन किया है कि मेरे दादा जी विद्यानन्द मंडल मेरी माँ पिताजी को एक जगह बांट कर 6–7 कठा जमीन दिए थे तथा उसमें मेरे पिता जी खेती करते थे। इसी बीच मेरे दादा जी उस जमीन को चुपके से किसी दूसरे के पास बेच दिए। जब जमीन खरीदने वाला जमीन का नापी करके निकला तब मेरे माँ पिताजी मालूम चला तो दिनांक 20.12.2025 को समय करीब 1:30 बजे दिन में मेरे पिताजी और मेरी माँ पिंकी देवी दादाजी विद्यानन्द मंडल के घर जा कर उन से बोले कि जब आप हमलोगों जमीन बांट कर दिए थे फिर दूसरे के पास कैसे बेच दिए। इस पर मेरे दादाजी रतन कुमार मंडल, रवि कुमार मंडल, मंजुला देवी, चांदनी देवी, हीरा लाल मंडल, सरिता देवी, रेशम कुमारी, हम सभी को गन्दी–गन्दी गाली देकर बोलने लगे कि तुम लोग को जगह जमीन में कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा तथा मेरे दादाजी बोले कि पुरा जमीन बेचकर दो बेटा को दे देंगे। जब इस पर मेरी माँ गाली–गलौज देने से मना किया तो इस पर मंजुला देवी और चांदनी देवी दोनों मिलकर मेरी माँ का सर का बाल पकड़ कर पटक दिया और मारने पीटने लगी। इसी बीच रमन कुमार मंडल पत्थर का टुकड़ा उठा कर मेरी माँ के सर पर जोर से मार दिया, जिससे मेरी माँ के सर के पीछे भाग में गंभीर रूप से चोट लगा और सर फट गया और काफी खून बहने लगा। तब मेरे पिताजी मेरी माँ को बचाने गए तो मेरा पिताजी को रवि कुमार मंडल, रतन कुमार मंडल तथा हीरा लाल मंडल लाठी डंडा से मारपीट करने लगा। तब

Web copy of Civil Court Katihar

Web copy of civil court katihar

मैं जोर–जोर से रोते चिल्लाते हुए हल्ला करने लगी। अगल बगल के लोग दौड़ कर आने लगे। इसी बीच रतन कुमार मंडल मेरी माँ के गला से सोने का लॉकेट छिन लिया तब अगल–बगल के लोग आकर हमलोग को बचाया। तब मेरा पिताजी और मेरी माँ को जख्मी हालत में देखकर मेरा एक मामा राहुल कुमार का सहयोग लेकर मेरी माँ को ईलाज करवाने हेतु डंडखोरा पी0एच0सी0 लेकर गए, जहां मेरी माँ का ईलाज हुआ। लेकिन बेहतर ईलाज कराने हेतु कटिहार सदर अस्पताल रेफर किया गया। तब मेरे पिताजी मेरी माँ को कटिहार सदर अस्पताल ईलाज करवाने ले गये। जहां मेरी माँ का ईलाज हुआ, लेकिन उपरोक्त सभी लोग अभी भी हमलोग को धमकी देते हैं कि तुम सभी लोग को जान से मार देंगे। उक्त सभी लोग पूरा बदमास एवं मनबढु किस्म के व्यक्ति हैं। वर्ष 2012 में मेरी दादी मंजुला देवी ने अपने पुत्र वधु पतोह को अपने पुत्र रतन कुमार मंडल के साथ मिलकर जान से मारकर घर के पीछे सुगेल नदी के किनारे बोरा में डालकर जमीन के नीचे गाड़ दिया था। उपरोक्त लोग मेरा खेत का फसल भी उजाड़ दिया है।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदकगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिंह द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण की ओर से इस अग्रिम जमानत आवेदन के अतिरिक्त अन्य कोई अग्रिम जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक रतन कुमार मंडल, रवि कुमार मंडल एवं मंजुला देवी का आपराधिक इतिहास है, परन्तु अन्य आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद में उभय पक्षों के बीच आपस में समझौता हो गया है तथा अब कोई विवाद नहीं रह गया है। मामले में एक संयुक्त सुलहनामा भी दाखिल किया गया है जो अभिलेख पर है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के विरूद्ध झूठा एवं मनगढंत आरोप लगाया गया है। आवेदकगण स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार हैं तथा वह धारा 482 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत दिये गये शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदकगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है। अतः यह अग्रिम जमानत पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचिका छाया कुमारी के लिखित आवेदन के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध डंडखोरा थाना कांड संख्या–144/2025 दिनांक 23.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 117(1), 303(2), 351(2), (3), 352 3(5) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 3, 6, 18 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है तथा कंडिका 21 में अभियुक्त विद्यानन्द मंडल, रवि कुमार मंडल, रतन कुमार मंडल, मुजुला देवी के विरूद्ध वर्ष 2012 का एक मामला दर्ज पाया है। कांड दैनिकी के कंडिका 25 के अनुसार जख्मी का जख्म चिकित्सक की राय में साधारण प्रकृति का पाया गया है। उभय पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित एवं उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित सुलहनामा दाखिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उभय पक्ष आपस में पिता–पुत्र, पुत्रवधु एवं सगे–संबंधी है, दोनों पक्षों के बीच में ग्रामीण पंचों एवं शुभचिंतकों द्वारा आपस में सुलह करा दिया गया है, जिससे अन्य लोगों को भी कोई विवाद एवं मतभेद नहीं रह गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उभय पक्षों ने आपस में राजीखुशी से बिना किसी जोर दबाव के सुलह कर लिया है, जिससे घटनास्थल पर किसी प्रकार की शांति भंग होने अथवा साक्ष्य अथवा साक्षियों के साथ छेड़छाड़ किये जाने की कोई संभावना नहीं है।

7. मामले के उपरोक्त विवेचन तथा उभय पक्षों में हुए संधि को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है, तदनुसार आवेदकगण को आदेश की तिथि/आदेश प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0

10,000/—रूपये एवं समान राशि के दो प्रतिभुओं का बंधपत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 482(2) में वर्णित उपबंधों के पालन में वचन पत्र के साथ दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर अग्रिम जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Web copy of Civil Court, Katihar